<u>न्यायालय – ऐश्वर्या दीवान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम</u>

<u>श्रेणी दुर्ग</u>

धारा–175 (3) बी.एन.एस.एस., 2023

दिनकर विश्वमित्र

.... आवेदक

<u>// विरुद्ध //</u>

राजेश चौहान

............अनावेदक

16.07.2026 आवेदक की ओर से श्री सौरभ चौबे अधिवक्ता उपस्थित ।

प्रकरण तर्क हेतु नियत है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर तर्क सुना गया ।

<u>इस आदेश के माध्यम से आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 175 (3) बी.एन.एस.एस. का निराकरण किया जा रहा है।</u>

<u>आवेदक द्वारा निवेदन किया गया है कि</u> आवेदक कन्स्ट्रकशन/ठेकेदारी का कार्य करता है। आवेदक का दोस्त सरोज कुमार ने अनावेदक राजेश चौहान से नये

काम के सिलसिले में आवेदक का मुलाकात करवाया था। अनावेदक राजेश चौहान ने आवेदक को बताया कि वह इंटरनेशनल किकेटर हूँ और मेरा नवीन जिंदल से उसका अच्छा परिचय है। आवेदक के सामने अनावेदक राजेश चौहान ने नवीन जिंदल से काम के सिलसिले में बात भी किया था। अनावेदक राजेश चौहान ने यह विश्वास दिलाया कि उसकी फर्म को जिंदल इस्पात लिमिटेड, क्योंझर जिला, में आयरन एवं लम्स के परिवहन का ठेका उसकी फर्म गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिला है। इस कार्य में भारी मुनाफे का आश्वासन देते हुए, अनावेदक राजेश चौहान ने आवेदक को इस परिवहन कार्य में ट्रक लगाने एवं भागीदारी करने का प्रस्ताव दिया। अनावेदक ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए आवेदक को उक्त ठेके से संबंधित गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम का वर्क ऑर्डर के दस्तावेज दिखाए, जिसमें यह दर्शाया गया था कि अनावेदक की फर्म को जिंदल इस्पात लिमिटेड से परिवहन का कार्य आबंटित हुआ है। इन दस्तावेजों पर विश्वास करते हुए, आवेदक अनावेदक के साथ व्यापार करने के लिए सहमत हो गया। व्यावसायिक संबंध को औपचारिक रूप देने के लिए, आवेदक और अनावेदक दिनांक 30 जुलाई, 2021 को चौहान ऑटो मोटीव स्टेशन रोड़ में बात करने के बाद चेक क्रमांक 000015 के माध्यम से 2,51,000/– रू. की राशि देकर इकरारनामा निष्पादित किया। उस समय आवेदक का दोस्त सरोज कुमार था। आवेदक गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के खाते में दो किश्तो में 15.01,000/– रू. (अक्षरी– पन्द्रह लाख एक हजार रुपये) की धनराशि हस्तांतरित किया ताकि उस राशि का उपयोग परिवहन कार्य में किया

जा सके। धनराशि के हस्तांतरण का पूर्ण विवरण आवेदक के बैंक खाते के विवरण में उपलब्ध है।

आवेदन पत्र में आगे यह भी अभिकथन किया गया है कि,काफी समय बीत जाने के बाद अनावेदक आवेदक को सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था तब आवेदक जिंदल इस्पात लिमिटेड जाकर के जानकारी प्राप्त किया, तो आवेदक को यह ज्ञात हुआ कि अनावेदक राजेश चौहान या गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी का कोई भी परिवहन का ठेका कभी आवंटित ही नहीं हुआ था। अनावेदक राजेश चौहान द्वारा आवेदक को दिखाया गया वर्क ऑर्डर पूर्णतः कूटरचित एवं फर्जी था। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अनावेदक राजेश चौहान का इरादा प्रारंभ से ही आवेदक के साथ धोखाधड़ी करके अवैध रूप से धन अर्जित करना था। आवेदक ने लिखित शिकायत आवेदन थाना प्रभारी थाना मोहन नगर जिला–दुर्ग (छ.ग.) को दिया, जिसमें अनावेदक राजेश चौहान के ऊपर कोई अपराध पंजीबद्ध नही किया गया तब आवेदक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग को लिखित शिकायत आवेदन देने पर भी थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्यवाही / जॉच नही की गई। अनावेदक राजेश चौहान के विरूद्ध संज्ञेय अपराध होने के पश्चात् भी थाना मोहन नगर द्वारा अपराध पंजीबद्ध नही होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष इस आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। आवेदक के द्वारा थाना प्रभारी थाना मोहन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग को दिया गया आवेदन की छायाप्रति फेहरिस्त अनुसार इस आवेदन के साथ संलग्न किया जा रहा है। अतः अनावेदक राजेश चौहान के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318

(4) के तहत् थाना मोहन नगर को अपराध दर्ज कर अन्वेषण करने का आदेश देने का निवेदन किया गया है ।

परिवाद पत्र में थाना सिटी कोतवाली द्वारा प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नही किया गया है ।

पक्षकार के तर्क श्रवण किए गए ।

आवेदन मय सम्पूर्ण दस्तावेज का अवलोकन किया गया ।

आवेदक के द्वारा इस बाबत् आवेदन पेश किया गया है कि, अनावेदक राजेश चौहान ने यह विश्वास दिलाया कि उसकी फर्म को जिंदल इस्पात लिमिटेड, क्योंझर जिला, में आयरन एवं लम्स के परिवहन का ठेका उसकी फर्म गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिला है। इस कार्य में भारी मुनाफे का आश्वासन देते हुए, अनावेदक राजेश चौहान ने आवेदक को इस परिवहन कार्य में ट्रक लगाने एवं भागीदारी करने का प्रस्ताव दिया। अनावेदक ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए आवेदक को उक्त ठेके से संबंधित गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम का वर्क ऑर्डर के दस्तावेज दिखाए, जिसमें यह दर्शाया गया था कि अनावेदक की फर्म को जिंदल इस्पात लिमिटेड से परिवहन का कार्य आबंटित हुआ है।

आवेदक के द्वारा अनावेदक के साथ किए गए इकरारनामा की प्रति पेश की गयी है जिसके अनुसार जिन्दल इस्पात लिमिटेड में आयरन और लंग्स को ट्रांसपोर्ट करने हेतु आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा 25 हजार रुपये लगाये जाने का इकरारनामा किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा इकरारनामा के अनुसार 251000/–रुपये की राशि दिया गया जिसका पूर्ण विवरण आवेदक के बैंक खाते से किया गया । आवेदक

के द्वारा उक्त बैंक की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है । **आवेदन के तथ्यों पर निष्कर्ष देने के पूर्व धारा 175 (3)** भारतीय न्याय संहिता, 2023 **का अवलोकन आवश्यक प्रतीत होता है।**

धारा 175 —– पुलिस अधिकारी की संज्ञेय मामले की जांच करने की शक्ति

(1) किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, किसी ऐसे संज्ञेय मामले की जांच कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के भीतर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले न्यायालय को अध्याय XIV के प्रावधानों के अधीन प्राप्त हो:

परंतु अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से जांच कराने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की कार्यवाही को इस आधार पर किसी भी स्तर पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उस अधिकारी को इस धारा के अधीन जांच करने का अधिकार नहीं था।

(3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन शपथपत्र सहित किए गए आवेदन पर विचार करने तथा आवश्यक जांच एवं पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निवेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसी जांच का आदेश दे सकता है।

(4) .....

उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट, शपथपत्र सहित आवेदन पर, पुलिस को जांच का निर्देश दे सकता है।

आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ अपना शपथ पत्र पेश किया है । आवेदक के द्वारा थाना मोहन नगर में लिखित शिकायत की प्रति पेश की गयी है । जब मोहन नगर के द्वारा आवेदक के लिखित शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज् नही किया गया, तत्पश्चात आवेदक के द्वारा पुलिस अधीक्षक दुर्ग को लिखित शिकायत पेश किया गया । जिसकी प्रति आवेदक ने संलग्न है ।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज तथा आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक के द्वारा व्यवसायिक कार्यो के तहत पैसा प्राप्त किया गया था एवं तत्पश्चात आवेदक के साथ धोखाधडी की गयी ।

अतः यह स्पष्ट है कि संज्ञेय प्रकृति का अपराध आरोपी के द्वारा कारित किया गया है तथा उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण आवेदक को अन्याय सहन करना पड़ा है।

आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों तथा थाना प्रभारी, मोहन नगर जिला दुर्ग के द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अनावेदक के द्वारा आवेदक के साथ धोखाधडी करके अवैध रुप से धन अर्जित किया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजित कथित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षी केन्द्र प्रभारी को अनुसंधान हेतु आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं./ 175(3) भा०ना०सू०स स्वीकार किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि विधिपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन पेश करें।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण व्यवस्थित कर नियत अवधि के भीतर अभिलेखागार में भेजा जावे।

सही/-

(ऐश्वर्या दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला दुर्ग छ.ग.

प्रतिलिपि –थाना प्रभारी, मोहन नगर विधिपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन पेश प्रेषित करें ।

(ऐश्वर्या दीवान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला दुर्ग छ.ग.